न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मुकदमा नं. 89/ 2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956

उनवान :- राज्य सरकार बनाम चनराज

निर्णय

दिनांक :- 22.10

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण प्रकार है कि पटवारी हल्का तोलियासर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि गैर सायल चनराज पुत्र/पत्नी श्री भंवरलाल जाति पुरोहित निवासी तोलियासर द्वारा ग्राम तोलियासर के आराजी ख.नं. 332 तादादी 17.55 हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु.पायतन भूमि में से 1.90 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 207 में नाजायज मेड़बन्दी करके अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसर कार्यवाही का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधि नोटिस तामिल के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 22.10.18 को ईकत कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/ सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर स द्वारा उक्त भूमि पर मेड़बन्दी करके अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वा संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल चनराज का उक्त ख.नं. 332 तादादी 17.55 हैक्टेयर गै.मु.पायतन भूमि में से 1.90 हैक्टे./वर्ग भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल चनराज अतिक्रमी की श्रेणी में आता है

अतः गैर सायल चनराज पुत्र/पत्नी श्री भंवरलाल जाति पुरोहित निवासी तोलियासर द्वारा ग्राम तोलियासर आराजी ख.नं. 332 तादादी 17.55 हैक्टेयर गै.मु. पायतन भूमि में से 1.90 है हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2075 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया ज तथा लगान 1.90 रूपये का 50 गुणा से 95=00 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि.को अतिक्रमी को भ रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।